HRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2014/माघ 9, 1935

No. 231]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2014/MAGHA 9, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2014

का.आ. 283(अ).—यत:, मै. सनसिटी हरियाणा एसईजेड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो हरियाणा राज्य में एक निजी संगठन है, ने ग्राम झुंड सराय एवं भगरोला गाँव, जिला गुड़गाँव, हरियाणा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत: केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 18 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1783 (अ) द्वारा 67.64 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और, यत: मै. सनिसटी हिरयाणा एसईजेड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण 67.64 हेक्टेयर क्षेत्र को अनाधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को उपर्युक्त क्षेत्र को अनाधिसूचित किए जाने हेतु अनुमोदित पत्र प्रदान कर दिया है;

अत: अब विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उन सभी बातों को छोड़कर जो उपरोक्त सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करती है ऐसे निरसन के पूर्व की गई हैं या किए जाने से निवारित की गई हैं।

> [फा. सं. एफ. 2/451/2006-एसईजेड] राजीव अरोडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2014

S.O. 283(E).— Whereas, M/s. Suncity Haryana SEZ Developers Pvt. Ltd. had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT SEZ at Village Jhund Sarai and Bhangrola Villages, Distt. Gurgaon in the state of Haryana;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 67.64 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1783(E) dated the 18th October, 2007;

And, whereas, M/s. Suncity Haryana SEZ Developer Pvt. Ltd. has proposed to denotify the entire area of 67.64 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for denotification of above area on 16th September, 2013;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/451/2006-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

415 GI/2014